नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2023

सूचना

क्र. एफ 3-113-2021-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के निम्न नियम में संशोधन करती है, जो उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र (साधारण), दिनांक 9 दिसम्बर 2022 में पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं :—

संशोधन

उक्त नियमों में, —

1. नियम 2 में, उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"5-क. अनुज्ञापन प्राधिकारी से अभिप्रेत है तथा इसमें सम्मिलित होंगे,—

आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, जो संपूर्ण मध्यप्रदेश हेतु अग्निशमन इंजीनियरों को अनुज्ञप्ति जारी कर सकेंगे".

2. नियम 26 में, उप-नियम (2) में, अनुक्रमांक 6 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

पदनाम (1)	न्यूनतम अर्हता (2)
"6. अग्निशमन इंजीनियर	किसी मान्यताप्राप्त भारतीय या विदेश विश्वविद्यालय से अग्निशमन इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातक या समकक्ष, अग्निशमन इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव के साथ. या (एक) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि या समकक्ष, तथा (दो) दो वर्ष के अनुभव के साथ अग्नि सुरक्षा में एडवांस डिप्लोमा.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 मार्च 2023

क्र. एफ 3-113-2021-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, विभागीय सूचना क्र. एफ 03-113-2021-अठारह-5, दिनांक 1 मार्च 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

NOTICE

Bhopal the 1st March 2023

No. F-F3-113-2021-XVIII-5.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 85 read with sub-section (3) of Section 24 of Madhya Pradesh Town and Country Planning Act, 1973 the State Government hereby makes the following amendments in Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 2012 rules the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette (ordinary) dated 9 December 2022 as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Act.

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 2, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"Rule 5-A : Licensing Authority means and shall include :—

Commissioner, Urban Administration and Development or an officer authorized by him who can issue license to Fire Engineers for the whole of the State of Madhya Pradesh.".

2. In rule 26, in sub rule (2), for serial number 6, the following serial number shall be substituted namely :—

Designation (1)	Minimum Qualification (2)
" 6. Fire Engineer	Graduate in Fire Engineering/Technology or equivalent from recognized Indian or foreign university with One years experience in the field of Fire Engineering/ Technology. OR (i) Bachelor's Degree in Science or equivalent from any recognized university, and (ii) Advance diploma in Fire Safety with 2 years experience."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.